न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—172/14 (आरसीएमएस नं. 2014/00041)

01. श्रीमती ममता देवी पुत्री सुण्डा राम पत्नी राधेश्याम, जाति कुमावत, निवासी किशनपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल निवासी ढाणी घोडेलावाली वार्ड नम्बर 6, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

01. रूकमणी देवी पत्नी सुण्डाराम,
02. मदन लाल पुत्र श्री मोहनलाल,
03. मोहन लाल पुत्र झूँथाराम,
04. सुरजी देवी पत्नी झूँथाराम,
05. माना देवी,
06. सोहनी देवी,
07. नन्दी देवी,
08. रामप्यारी देवी पुत्रीयॉ झूँथाराम,
09. बलाराम पुत्र झूँथाराम, समस्त जाति कुमावत, निवासी किशनपुरा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
10. तहसीलदार चौमू जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक चौमू, जिला जयपुर।
12. ग्राम पंचायत किशनपुरा, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमू जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 11.09.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 10.07.14 (प्रकरण संख्या 43/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार चौमू जिला जयपुरके समक्ष दिनांक 18.062014 को ग्राम किशनपुरा का नामान्तरकरण संख्या 949 को धारा 135(2) में दर्ज करवाने बाबत हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर समय नियत कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये, पत्रावली संख्या 43/14 दिनांक 27.06.14 को दर्ज होने पर तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.07.2014 नियत की गई तथा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को नोटिस जारी नही किया गया तथा प्रथम तारीख पेशी दिनांक 07.07.2014 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.07.2014 नियत की गई व दिनांक 10.07.2014 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान दिये ही पारित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

किया गया है तथा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त नामान्तरकरण को खुलवाने बाबत ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार दत्तक ग्रहण के समय रूकमणी देवी की उम्र केवल 18 साल की थी ऐसे में उसे दत्तक ग्रहण की आवश्यकता क्यों हुई, स्पष्ट नही किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2014 विधि विरूद्ध, कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2014 खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट अपने आपको स्व. सुण्डाराम की पुत्री होना कथन कर अपील में आई है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा जारी कुर्सीनामा से भी होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को स्व. सुण्डाराम का वारिस माना है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नही दिये गया है और ना ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिससे जाहिर होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2014 अपीलान्ट की सहमति से पारित किया गया हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 10.07.2014 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।